न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 113/2024(GCMS : 2024/161)

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि., तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान– 302017 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

1. **किरत ट्रेडर्स पार्टनर्स,** इंदरपाल सिंह अलग और हरकिरत सिंह, शॉप नं. एस–08, किरत ट्रेडर्स, चक जैड ए, मुरब्बा नम्बर 18, किला नम्बर 21, श्रीगंगानगर राजस्थान
2. **इंदरपाल सिंह अलग** ऐज अलियास ऐज इंदरपाल सिंह पता 1. शॉप नम्बर–एस–08, किरत ट्रेडर्स, चक जैड ए, मुरब्बा नम्बर 18, किला नम्बर 21, श्रीगंगानगर राजस्थान 335001 **पता–2** 14 एन ब्लॉक, वार्ड नम्बर 43, श्रीगंगानगर, राजस्थान– 335001 **पता–3** – हाउस नंबर –6, कुंज विहार, वार्ड नंबर–7, श्रीगंगानगर, राजस्थान–335001
3. **हरकिरत सिंह (पार्टनर)** पता 1. शॉप नम्बर–एस–08, किरत ट्रेडर्स, चक जैड ए, मुरब्बा नम्बर 18, किला नम्बर 21, श्रीगंगानगर राजस्थान 335001 **पता–2** 14 एन ब्लॉक, वार्ड नम्बर 43, श्रीगंगानगर, राजस्थान– 335001 **पता–3** – हाउस नंबर –6, कुंज विहार, वार्ड नंबर–7, श्रीगंगानगर, राजस्थान–335001
4. **कुलविंदर कौर अलग** ऐज अलियास ऐज़ कुलविंदर कौर **पता–1** 14 एन ब्लॉक, वार्ड नम्बर 43, श्रीगंगानगर, राजस्थान– 335001 **पता–2** – हाउस नंबर –6, कुंज विहार, वार्ड नंबर–7, श्रीगंगानगर, राजस्थान–335001 **पता–3** प्लॉट नम्बर 6, किल्ला नम्बर 1, मुरब्बा नम्बर 35, चक 6 जैड ए, कुंज विहार, श्रीगंगानगर, राजस्थान– 335001 **पता–4** प्लॉट नम्बर 7, किला नम्बर 1, मुरब्बा नम्बर 35, चक 6 जैड ए, कुंज विहार, श्रीगंगानगर, राजस्थान– 335001
5. **गुनदीप कौर अलग** ऐज़ अलियास गुनदीप कौर **पता–1** 14 एन ब्लॉक, वार्ड नम्बर 43, श्रीगंगानगर, राजस्थान– 335001 **पता–2** – हाउस नंबर –6, कुंज विहार, वार्ड नंबर–7, श्रीगंगानगर, राजस्थान–335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:02 IST
Reason: SelfAttested

11.11.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक ने जरिये अधिवक्ता श्री मनोज अरोड़ा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण किरत ट्रेडर्स, इंद्रपाल सिंह अलग, हरकिरत सिंह, कुलविंदर कौर एवं गुनदीप कौर को ऋण सुविधा के रूप में 62,37,176/— रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.02.2022 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 02.01.2024 को 65,08,302/— रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी कुलविन्द्र कौर द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 6, किला नम्बर 1, मुरब्बा नम्बर 35, चक 6 जैड ए, कुंज विहार, श्रीगंगानगर राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 2025 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं—पूर्व प्लाट नम्बर 5, पश्चिम 30 फीट चौड़ी सडक, उत्तर 30 फीट चौडी सड़क, दक्षिण प्लॉट नम्बर 8 तथा प्लाट नम्बर 7, किला नम्बर 1, मुरब्बा नम्बर 35, चक 6 जैड ए, कुंज विहार, श्रीगंगानगर राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 2025 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं—पूर्व प्लाट नम्बर 5, पश्चिम 30 फीट चौड़ी सडक, उत्तर 30 फीट चौडी सड़क, दक्षिण प्लॉट नम्बर 8 है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण किरत ट्रेडर्स, इंद्रपाल सिंह अलग, हरकिरत सिंह, कुलविंदर कौर एवं गुनदीप कौर** को ऋण सुविधा के रूप में 62,37,176/— रूपये **(अखये रूपये बासठ लाख सैंतिस हजार एक सौ छियत्तर मात्र) की स्वीकृति दिनांक 21.02.2022 [illegible] की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कु[illegible] सम्पत्ति **प्लॉट नम्बर 6, किला नम्बर 1, मुरब्बा नम्बर 35, चक [illegible] जैड ए, कुंज विहार, श्रीगंगानगर राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 2025 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं—पूर्व प्लाट**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

नम्बर 5, पश्चिम 30 फीट चौड़ी सडक, उत्तर 30 फीट चौडी सड़क, दक्षिण प्लॉट नम्बर 8 तथा प्लाट नम्बर 7, किला नम्बर 1, मुरब्बा नम्बर 35, चक 6 जैड ए, कुंज विहार, श्रीगंगानगर राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 2025 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं—पूर्व प्लाट नम्बर 5, पश्चिम 30 फीट चौड़ी सडक, उत्तर 30 फीट चौडी सड़क, दक्षिण प्लॉट नम्बर 8 है, को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 12.11.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक(स्पीड पोस्ट) से भिजवाये गये थे, जो प्रार्थी को अधूरा पता होने के कारण प्राप्त नहीं हुए। इसलिए प्रार्थी बैंक ने 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण के निवास पर चस्पा कर, दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी कुलविन्दर कौर की अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 6, किला नम्बर 1, मुरब्बा नम्बर 35, चक 6 जैड ए, कुंज विहार, श्रीगंगानगर राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 2025 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं—पूर्व प्लाट नम्बर 5, पश्चिम 30 फीट चौड़ी सडक, उत्तर 30 फीट चौडी सड़क, दक्षिण प्लॉट नम्बर 8 तथा प्लाट नम्बर 7, किला नम्बर 1, मुरब्बा नम्बर 35, चक 6 जैड ए, कुंज विहार, श्रीगंगानगर राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

वर्गफीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं—पूर्व प्लाट नम्बर 5, पश्चिम 30 फीट चौड़ी सडक, उत्तर 30 फीट चौडी सड़क, दक्षिण प्लॉट नम्बर 8 है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 18.01.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 18.01.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.04.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस पर अधूरा पता की रिपोर्ट के साथ प्रार्थी बैंक को प्राप्त हो गये है। पत्रावली में उपलब्ध चस्पा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों प्रातः काल एवं दी इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 24.02.2024 को प्रकाशित करवाया है, **जिसके** अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **कुलविन्दर कौर** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर आई.सी.आई.सी.आई का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **कुलविन्दर कौर द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 6, किला नम्बर 1, मुरब्बा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:02 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

नम्बर 35, चक 6 जैड ए, कुंज विहार, श्रीगंगानगर राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 2025 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं–पूर्व प्लाट नम्बर 5, पश्चिम 30 फीट चौड़ी सडक, उत्तर 30 फीट चौडी सड़क, दक्षिण प्लॉट नम्बर 8 तथा प्लाट नम्बर 7, किला नम्बर 1, मुरब्बा नम्बर 35, चक 6 जैड ए, कुंज विहार, श्रीगंगानगर राजस्थान क्षेत्रफल एरिया 2025 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं–पूर्व प्लाट नम्बर 5, पश्चिम 30 फीट चौड़ी सडक, उत्तर 30 फीट चौडी सड़क, दक्षिण प्लॉट नम्बर 8 है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:43:02 IST
Reason: SelfAttested